

कथाएं, उत्सव व त्योहार समाज को सशक्त बनाते हैं - भजनलाल

मुख्यमंत्री ने सपत्नीक श्री शिव महापुराण कथा व मृत्युंजय रुद्र महायज्ञ में भाग लिया

जयपुर, 22 मार्च। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को मानसरोवर में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा एवं महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ में सपत्नीक भाग लिया। शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भगवान शिव साधना, आराधना, उपासना और संयम के प्रतीक हैं तथा वे हमें सिखाते हैं कि माया और मोह से परे रहकर मानवता की रक्षा करना हमारा धर्म है।

ने शिव महापुराण कथा का श्रवण किया तथा भगवान शिव की आरती की। मुख्यमंत्री ने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को दुपट्टा ओढ़ाकर उनका अभिनंदन किया।

शर्मा ने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में कथाएं, उत्सव और त्योहार समाज को सशक्त करने का काम करते हैं। नवरात्र और नववर्ष के पवन अवसर पर शिव महापुराण कथा का आयोजन शिव और शक्ति के अद्वितीय संगम का प्रतीक है। मां दुर्गा की आराधना से जीवन में शक्ति का संचार होता है। वहीं, शिव महापुराण कथा की अमृतवर्षा से मन में शांति और मोक्ष का बोध होता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान शिव मृत्युंजय हैं और उनकी आराधना से मनुष्य अकाल मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। शिव भक्ति से बढ़कर कोई कवच नहीं है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव साधना, आराधना, उपासना और संयम के प्रतीक हैं तथा वे हमें सिखाते हैं कि माया और मोह से परे रहकर मानवता की रक्षा करना हमारा धर्म है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा की सरल भाषा, गहन शास्त्र ज्ञान और भक्ति-रस से परिपूर्ण कथा शैली ने युवा पीढ़ी को सनातन संस्कृति से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को मानसरोवर में श्रीशिव महापुराण कथा एवं महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ में भाग लिया।

मोदी ने 8931...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
नेताओं ने इस उपलब्धि को अद्वैत प्रतिबद्धता और जनसेवा का मील का पत्थर बताया है। 24 वर्षों से अधिक के इस लंबे सफर में उन्होंने एक भी दिन का अवकाश नहीं लिया। गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर कहा, "यह रिकॉर्ड सेवा, परिश्रम और अद्वैत प्रतिबद्धता की नींव पर बना है। मोदी के 8,931 दिन राष्ट्र-प्रथम शासन और कार्यों में सत्यनिष्ठा को दर्शाते हैं। उन्होंने बिना छुट्टी लिए राष्ट्र की सेवा की है, यही कारण है कि उन्हें जनता का अभूतपूर्व स्नेह प्राप्त हो रहा है।"

ईरान

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि बातचीत किसके जरिए और किस स्तर पर होगी। अमेरिका यह तय कर रहा है कि ईरान में असली फैसला लेने वाला कौन है और कौन सा देश सबसे बेहतर मध्यस्थ होगा। ओमान पहले मध्यस्थ था, लेकिन अब अमेरिका कतर को आगे लाना चाहता है।

केसी त्यागी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
वरिष्ठ पदों की जिम्मेदारी संभाली थी। वे जद (यू) के मुख्य महासचिव, मुख्य प्रवक्ता और राजनीतिक सलाहकार रहे।

इजरायल ने रविवार को तेहरान पर मिसाइलों से फिर हमला किया

कतर का सैन्य हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के कारण क्रैश हुआ, बचाव अभियान जारी

इजरायल ने दावा किया कि उसकी मिसाइलों ने तेहरान में ईरानी आतंकी शासन के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया।

ईरान की सेना का यह बयान राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के जवाब में आया है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर होर्मुज जलडमरूमध्य को 48 घंटे के अंदर नहीं खोला गया तो वह ईरान के पावर प्लांट को पूरी तरह तबाह कर देंगे।

ईरान ने रविवार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
बनाया गया, तो वह मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजरायल से जुड़े सभी ऊर्जा ढांचों पर हमला करेगा। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने लेबनान के दक्षिणी हिस्से में हिजबुल्लाह के 9 लड़ाकों को मार गिराया है। सेना के मुताबिक, उनके जवान वहां ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैनात थे। इसी दौरान कुछ हथियारबंद लोग उस इलाके के पास आए। जैसे ही इन लोगों को पहचान हुई, सैनिकों ने तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी। इसके साथ ही एयर फोर्स को भी सूचना दी गई, जिसने ऊपर से हमला किया। जमीन और हवा से की गई इस कार्रवाई में सभी 9 लड़ाके मारे गए। इस पूरे ऑपरेशन में इजरायली सेना के किसी भी सैनिक को चोट नहीं आई।

पोप ने ईरान...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
उनकी चिंता सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं है बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में जारी हिंसा और संघर्ष भी उतने ही गंभीर हैं। उन्होंने वैश्विक स्तर पर शांति और स्थिरता को जरूरत पर जोर दिया। पोपलियो ने सभी से शांति के लिए प्रार्थना करने की अपील की और कहा कि अब समय आ गया है कि युद्ध को खत्म कर बातचीत और कूटनीति के जरिए समाधान निकाला जाए।

मांडवा थानाधिकारा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
रही है। सत्यापन में प्रत्येक आरोपी के बदले 5-5 लाख रुपए की मांग सामने आई। जिसके बाद 8 लाख रुपए में सीदा तय हुआ। एसीबी टीम ने ट्रंप कार्रवाई करते हुए आरोपियों को 1 लाख रुपए के वास्तविक नोट और 7 लाख रुपए के डमी नोट सहित कुल 8 लाख रुपए लेते हुए घर दबोचा। यह कार्रवाई उप महानिरीक्षक डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में पुलिस निरीक्षक डॉ. सोनू शेखावत के नेतृत्व में की गई।

सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा-2021 की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हाईकोर्ट के समक्ष यह प्रकरण लेकर पहुंचे कि, आर.पी.एस.सी. ने इस भर्ती परीक्षा में एस.सी.-एस.टी. संवर्ग के लिए वैकेंसी उचित संख्या में नहीं निकाली। हालांकि इन याचिकाओं पर संयुक्त समझौते से निस्तारण कर दिया गया था। परंतु वर्ष 2022 में अदालत ने इस परीक्षा के परिणाम जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इस आदेश में अदालत ने अन्य अभ्यर्थियों को छूट दी थी कि, वे अदालत के समक्ष अपनी शिकायतों का आवेदन पेश कर सकते हैं।

इसी बीच डॉ. रचिता माथुर हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन लेकर पहुंची और उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरण माथुर ने अदालत को बताया कि, राजस्थान सरकार की कैबिनेट ने आदेश पारित किया है कि भर्ती परीक्षाओं में मैरिट और पारदर्शिता के लिए अधिक से अधिक 10 प्रतिशत अंक इंटरव्यू के

माध्यम से दिए जा सकते हैं। ऐसे में राज्य सरकार के इस फैसले को यहां भी लागू किया जाए। हालांकि डॉ. माथुर के आवेदन पर अदालत ने यह फैसला दिया था कि, आर.पी.एस.सी., कैबिनेट के इस फैसले का सभी परीक्षाओं में लागू करे। हैरानी की बात है कि, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी आर.पी.एस.सी. ने राज्य कैबिनेट के फैसले को ना तो लागू किया और ना ही यह साफ बताया कि, उन्होंने भर्ती परीक्षाओं में किस आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया। एकलपिंड के समक्ष सुनवाई के दौरान आर.पी.एस.सी. ने कहा कि, "जब भी उनकी ओर से स्क्रॉनिंग टेस्ट किया जाता है तो 40 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा के, 20 प्रतिशत अंकैडमिक तथा शेष 40 प्रतिशत अंक इंटरव्यू के आधार पर दिए जाते हैं। जिन परीक्षाओं में स्क्रॉनिंग एजाम नहीं होते, वहां 60 प्रतिशत अंक इंटरव्यू तथा 40 प्रतिशत अंकैडमिक

के लिए दिए जाते हैं।" हालांकि यह दोनों बातें आर.पी.एस.सी. द्वारा प्रकाशित भर्ती परीक्षा की विज्ञापित में कहीं भी अंकित नहीं थी। डॉ. रचिता माथुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह पुष्टि करने के लिए कि, आवेदकों को किस प्रक्रिया के जरिए अंक दिए गए हैं, आर.पी.एस.सी. से पूरा रिकॉर्ड मंगवाया, जो कि केवल अदालत व संबंधित पक्षकारों के समक्ष ही खोला गया था। इस रिकॉर्ड से स्पष्ट हुआ कि, सहायक प्रोफेसरों की 337 पदों की भर्ती में ब्रांड और सुपरस्पेशलिटी के 27 विषयों की फैकल्टी के लिए नियुक्ति की जानी थी। इनमें स्किन व वीडो के 3 पद थे, जिन पर 75 आवेदन प्राप्त हुए थे। अदालत ने जब आर.पी.एस.सी. के रिकॉर्ड को देखा तो स्तब्ध रह गई कि, क्योंकि आर.पी.एस.सी. ने इंटरव्यू के दौरान जिस एक्सपर्ट पैनल का गठन किया था,

उसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों का नाम और पता अंकित था, परंतु इन सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों को आर.पी.एस.सी. का सलाहकार अथवा सहायक दर्शाया हुआ था। अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि, इंटरव्यू लेने के दौरान यह पैनल मौजूद तो था, लेकिन केवल कागजी तौर पर। अभ्यर्थियों को अंक देने में इनकी कोई भूमिका नहीं थी।

इससे भी ज्यादा हैरानी की बात थी कि, आर.पी.एस.सी. द्वारा अभ्यर्थियों को दिए गए अंकों का कोई स्पष्ट वर्गीकरण नहीं था, जिससे यह पता लग सके कि किस अभ्यर्थी को किसी परीक्षा अथवा इंटरव्यू में कितने अंक प्राप्त हुए। अदालत ने रिकॉर्ड को देखते हुए कहा कि, आर.पी.एस.सी. द्वारा गठित पैनल के हस्ताक्षर कहीं पर भी अंक देने की शीट में उल्लेखित नहीं है। आर.पी.एस.सी. के रिकॉर्ड से यह भी मालूम नहीं चल रहा कि पैनल ने किस

अभ्यर्थी को कितने अंक देने की सिफारिश की है। यह तमाम तथ्य सामने आने के बाद अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि, आर.पी.एस.सी. के रिकॉर्ड से ही यह स्पष्ट हो रहा है कि अभ्यर्थियों को मनमाने ढंग से इंटरव्यू में अंक दिए गए हैं, जबकि राज्य कैबिनेट के निर्णयानुसार अधिक से अधिक मात्र 10 प्रतिशत अंक ही आवंटित किए जा सकते हैं।

अदालत ने कहा कि, ऑपरेशनल थैरेपिस्ट 2022 तथा हॉस्पिटल केयरटेकर-2022 की भर्ती परीक्षाओं में आर.पी.एस.सी. ने इंटरव्यू के जरिए 10 प्रतिशत अधिकतम अंक देने का निर्णय लागू किया है, ऐसे में सवाल यह उठता है कि इस भर्ती परीक्षा में आर.पी.एस.सी. ने ऐसा क्यों नहीं किया। अदालत ने इन पूरे तथ्यों को देखते हुए डॉ. रचिता माथुर द्वारा दायर सहायक प्रोफेसर (स्किन एवं वीडो) की भर्ती परीक्षा की प्रतिक्रिया को

दो गई चुनौती को सही ठहराया और आरपीएससी को आदेश दिए कि वह कैबिनेट द्वारा वर्ष 2022 में दिए गए फैसले को लागू करे। अदालत ने अपने 10 जनवरी 2025 के आदेश में आरपीएससी द्वारा कि गई भर्तियों को भी रद्द कर दिया गया। अदालत ने कहा कि, आर.पी.एस.सी. ने जो रिकॉर्ड पेश किया है, उसकी प्रतिलिपि बनाई जाए और कोर्ट के रिकॉर्ड में भी दर्ज करवा जाए। हैरानी की बात यह है कि, राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपिंड के आदेश के बाद एस.आई. भर्ती परीक्षा 2021 में अभियुक्त मंजू शर्मा और संगीता आर्या ने कोर्ट के समक्ष यह दलील प्रस्तुत की थी कि, उन्हें पेंरलीक और नकल के मामले में चार्टशीट में गलत तथ्यों के साथ फंसाया गया है। जिन आर.पी.एस.सी. सदस्यों ने उनके खिलाफ गवाही दी है, वे स्वयं पेंरलीक के आरोपी हैं। उन्होंने कहा कि, परीक्षाओं में इतने अभ्यर्थी आते

हैं, किस अभ्यर्थी को इंटरव्यू में कितने अंक दिए जाएं, यह आंकलन करना ही असंभव होता है। परंतु डॉ. रचिता माथुर की इस याचिका में आर.पी.एस.सी. द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड से स्पष्ट होता है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। क्योंकि रिकॉर्ड के आधार पर आर.पी.एस.सी. अधिकारी अपारदर्शी, गैरकानूनी और मिलीभगत से अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में अंक बांटने का काम कर रहे थे।

TRUE VALUE

इस नवरात्रि कार लेना हुआ आसान।

सिर्फ ₹59 प्रतिदिन* की आसान किश्तों में।

MARUTI SUZUKI




CELEBRATING

60Lakh

STORIES OF TRUST

आसान फाइनेंस विकल्प* उपलब्ध हैं।

ट्रस्ट

- वेरिफाइड कार हिस्ट्री**
- 3 फ्री सर्विसेज** 5000 से अधिक मारुति सुजुकी सर्विस स्टेशनों पर उपलब्ध

क्वालिटी

- 376 क्वालिटी चेक पॉइंट्स
- 1 साल तक की वारंटी**

पूछताछ के लिए कॉल करें 1800 102 1800 | या जाएं यहाँ www.marutisuzukitruevalue.com

TRUE VALUE CERTIFIED

JAIPIUR: E-101, ROAD NO. 8, VKIA AREA, JAIPIUR, PREM MOTORS: 8058791634, 8058794187, 8058794102, 8058794177 | CHITRAKOOT MARG, SATYA COLONY, TAGORE NAGAR, JAIPIUR, AURIC MOTORS: 8690988784, 8890988912, 8690988758 | E-197(A), RIICO INDUSTRIAL AREA, MANSAROVAR, JAIPIUR, KP AUTOMOTIVES: 9549651769, 9116190346 | B 1 GOVIND MARG, RAJAPARK OPP. PINK SQUARE MALL, KP AUTOMOTIVE: 9549851770, 9116190344 | A-209, RAJENDRA PRASAD NAGAR, 200FT BYPASS, AJMER ROAD, JAIPIUR, SATNAM MOTOCORP: 7413900007, 7413900009, 7821823626, 8290654400, 7568249500, 9358868371 | 13 JHOTWARA INDUSTRIAL AREA, NEAR JHOTWARA POLICE STATION, JAIPIUR, KTL: 7412068475, 7412077170 | SECTOR-35, PRATAP NAGER, TONK ROAD, JAIPIUR, SANGA AUTONATION PVT LTD.: 9057809180 | PADMAWATI COLONY - II, OPPOSITE METRO PILLAR NO 25, MANSAROVAR NEAR STATION JAIPIUR, VIPUL MOTORS PVT. LTD.: 9829333522, 9829351470, 9079191348. ALWAR: NEAR ALWAR PUBLIC SCHOOL, JAIPIUR ROAD, ALWAR, MG MOTORS: 7240012934, 7728892248, 7073130666 | OPPOSITE MATILA POLICE STATION ALWAR BYPASS ROAD BHAWADI, FORTUNE CARS: 8875001550, 9214094335 | MANHAR VILLA, NEAR JAUL CIRCLE, VIJAY NAGAR ROAD, ALWAR, FORTUNE CARS: 7230029310, 7230029304.

*निधम एवं शर्तें लागू। विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया निकटतम डीलरशिप पर संपर्क करें। **वेरिफाइड कार हिस्ट्री और वारंटी केवल दू. वैल्यू प्रमाणित कारों पर लागू। नि:शुल्क सेवा केवल श्रम शुल्क पर लागू है। †दर्शाई गई छविमें केवल प्रतिलिपिक उद्देश्य के लिए हैं। *ऋण राशि ₹1,00,000 मानी गई है। †ऋण की अवधि 84 महीने है। †ऋण की अवधि 11% वार्षिक व्याज दर पर ली गई है। †ऋण फेमेंट कार के मूल्य के अनुसार भिन्न हो सकती है। वाहन पर काला सीसा प्रकाश प्रभाव के कारण होता है। फाइनेंस पूरे तरह तक वा वा विविध संस्था की मंजूरी पर निर्भर है और ग्राहक प्रोफाइल के अनुसार बदल सकता है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वरान प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शांतिपिंग सेंटर, टॉक रोड, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा | आर. एम. आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdoot@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायन हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाणा हाउस, हनुमान हथ्या, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-चूरा बाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय:- एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908